१६

(25)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक-एफ-4(9)आरडी/आरई/NLM/2006-07 जयपुर,दिनांकः 12 MAY 2008

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान ।

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 अन्तर्गत अधीकृत इंजीनियर का पैनल बनाने बाबत निर्देश।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 के दिशानिर्देश-2006 के आइटम नं. 5.5 पर अधिकृत इंजीनियर का पैनल बनाने बाबत निम्नानुसार उल्लेख हैः-

5.5.1 जिले और ब्लॉक के स्तर पर कार्यों की लागत का हिसाब लगाने और उनको मापने में सहायता देने के लिए राज्य सरकार अधिकृत इंजीनियरों का एक पैनल बना सकती है।

5.5.2 जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी, पंचायती राज संस्थान तथा अन्य क्रियान्वयन निकाय किसी भी आरईजीएस कार्य के लिए अधिकृत इंजीनियरों में से किसी की भी सेवाएं ले सकते हैं।

5.5.3 राज्य सरकार को अधिकृत इंजीनियरों की न्यूनतम योग्यता तथा उनको अधिकृत या निरस्त करने की प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी।

5.5.4 राज्य सरकार को अधिकृत इंजीनियरों के भुगतान की दर भी तय करनी होगी।

5.5.5 अधिकृत इंजीनियरों द्वारा किए गए आकलन तथा माप की परीक्षण जांच (टैस्ट चैक) सरकारी विभागीय इंजीनियरों को करनी होगी जिसके लिए राज्य सरकार मानक निर्धारित करेगी।

इसी परिपेक्ष्य में जिला एवं ब्लॉक स्तर पर अधिकृत इंजीनियरों का पैनल तैयार करने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान, जिला एवं ब्लाक स्तर पर अधिकृत इंजीनियरों का पैनल तैयार करेंगें। इस प्रयोजन हेतु जिला स्तर पर एक विज्ञापन जारी किया जाकर प्रस्ताव मांगे जावेंगें। जिला स्तर पर 10 अधिकृत इंजीनियरों का पैनल एवं प्रत्येक पंचायत समिति के लिए 10-10 इंजिनियरों का पैनल तैयार किया जावेगा।

अधिक प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर चयन की कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद की अध्यक्षता में गठित एक समिति जिसमें अधिशाषी अभियंता,(ईजीएस) व अधिशाषी अभियंता(अभि0) सदस्य होंगें।

योग्यताः- सिविल/ कृषि अभियांत्रिकी में डिग्री/ डिप्लोमाधारी, अभियंता/ सेवानिवृत्त अभियंता जिनकी आयु 70 वर्ष से कम हो।

अपेक्षित कार्यः- योजनान्तर्गत कराए जा रहे कार्यो के तकमीने तैयार करना, कार्यो का समय-समय पर मूल्यांकन करना, पूर्व में किये गये माप की जांच करना।

मानदेयः-

1. निर्धारित कार्यस्थल पर जाने के लिए वाहन सुविधा संबंधित कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उपलबध कराई जावेगी।
2. विभिन्न गतिविधियों के निष्पादन हेतु निम्नानुसार मानदेय देय होगा।

- तकमीना तैयार करना — रू. 500.00 प्रति तकमीना
- मूल्यांकन करना — रू. 200.00 प्रति कार्य
- पूर्व में किए गए माप की जांच करना — रू. 200.00 प्रति कार्य
- ऐसे तकमीने जिनमें डिजाईन अपेक्षित हो व तथा सर्वे भी वांछनीय हो — रू. 1000.00 प्रति कार्य

तकमीना 3 प्रतियों में टंकित कर साफ्ट कॉपी सहित उपलब्ध करवाना होगा तथा यदि डिजाईन एवं सर्वे कार्य भी किया गया है तो उसे भी तकमीने के साथ 3 प्रतियों में मय ड्राईग उपलब्ध करवाना होगा।

अधिकृत इंजीनियरों द्वारा तैयार किये गये तकमीनों एवं किये गये माप का परीक्षण विभागीय इंजीनियरों द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका में निर्धारित तकनीकी स्वीकृति एवं मूल्यांकन के लिए निर्धारित नोर्मस् के अनुसार करना होगा।

उपरोक्तानुसार कार्य का उपयोगिता/ पूर्णता प्रमाण-पत्र विभागीय अभियंता द्वारा ही जारी किया जावेगा।

उक्त निर्देशों के अनुसार अविलम्ब पैनल तैयार करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। यह कार्यवाही 20 मई, 2008 तक पूर्ण कर ली जावे।

भवदीय,

8.5.2008

(सुदर्शन सेठी)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस